

न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा
(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 सभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्या: 5/2024/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड
दायरा दिनांक: 24.1.2024
अन्तर्गत धारा: 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

बालाराम पुत्र जगन्नाथ जाति कुल्मी निवासी कुण्डलाप्रताप तहसील सुनेल जिला झालावाड राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये नायब तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड राज0 ।
2. पैरोकार सरकार ।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री भानूप्रताप सिंह अभिभाषक -अपीलार्थी
पैरोकार सरकार-रेस्पो0

::निर्णय::


दिनांक 9.5.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मि0 नं0 13/अपील/2022 अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम बउनवान बालाराम बनाम राज0 सरकार जरिये नायब तह0 सुनेल मे पारित निर्णय दिनांक 2.8.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरुद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

- 1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा दिनांक 17.11.2021 को निर्णय पारित कर ग्राम कुण्डलाप्रताप की आराजी खसरा नं0 316 रकबा 0.0039 है0 किस्म गै0मु0 खड्डा पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर भूमि से बेदखल व राशि 17/-रूपये शास्ति एवं 1 माह (30 दिवस) के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया गया जिसकी अपील अपीलांत द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड मे पेश की गई जो उनके द्वारा दिनांक 2.8.2022 को खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 2.8.2022 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर वर्णित किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि नियमो एवं संग्रह सार के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने नायब तहसीलदार सुनेल के निर्णय को देखने का प्रयास नहीं किया। निर्णय मे अपीलांट की उम्र दर्ज नहीं तथा निवासी की जगह कुल्मी दर्ज किया है। केम्प मगीसपुर पर दिनांक 17.11.2021 पेशी नियत कर दी गई और मनमाने तरीके से निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट को धारा 91 का नोटिस नहीं दिया गया। जिला कलक्टर ने भी उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपील खारिज करने मे विधिक त्रुटि की है। अपीलांट के अभिभाषक ने जेरअपील निर्णय की जानकारी नहीं दी। तहसील सुनेल मे गांव वाले के जाने पर सजा होने की जानकारी हुई। गांव वालो द्वारा दिनांक 17.8.2023 को अपीलांट को गिरफ्तारी वारंट जारी होने की जानकारी देने पर जानकारी हुई अतः जानकारी की तिथी से अपील अवधि मध्य पेश है। अतः अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार सुनेल का निर्णय दिनांक 17.11.2021 व जिला कलक्टर झालावाड का निर्णय दिनांक 2.8.2022 अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई व साक्ष्य आदि हेतु नायब तहसीलदार सुनेल को आवश्यक दिशा निर्देश के साथ पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किये जाने की इस्तदुआ की गई।
- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। परीक्षण/अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय रूप से केम्प मे तारीख पेशी नियत कर अपीलांट की अनुपस्थिति मे निर्णय पारित किया है जबकि पटवारी ने अपी0 की मौजूदगी मे पैमाईश नहीं की है। अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कोई सत्यापित दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। निर्णय विधि नियमो एवं संग्रह सार के सर्वथा विपरीत है। तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विरुद्ध है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा बहस मे आगे बताया कि पेनल्टी की राशि जमा करा दी है,

अति सं आयुक्त

- तथा कब्जा छोड़ने का प्रमाण पत्र न्यायालय में पेश कर देगा। अतः सजा माफ कर दी जावे। अंत में अपील स्वीकार कर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय अपास्त करने तथा प्रकरण नायब तहसीलदार सुनेल को रिमांड करने का अनुरोध किया।
- 4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।
- 5 अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपील द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है अतः प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन कर निर्णय किये जाने से पूर्व मियाद के बिन्दू को निर्णित किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है। अपीलांत द्वारा डिले कन्डोन हेतु अपील में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र भी पेश किया है। रेस्पोंड पैरोकार सरकार ने शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नहीं किया है ना ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया है ऐसी स्थिति में शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली में कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नहीं है। लिहाजा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।
- 6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांत एवं पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से प्रकट होता है कि नायब तहसीलदार सुनेल ने निर्णय दिनांक 17.11.2021 को ग्राम कुण्डलाप्रताप तहसील सुनेल की आराजी खसरा नं० 316 रकबा 0.0639 है० किस्म गै०मु० खढड़ा पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर भूमि से बेदखल व राशि 17/-रूपये शास्ति एवं 1 माह (30 दिवस) के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया गया जिसकी प्रथम अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांत द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड में पेश की गई। न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड ने नायब तहसीलदार सुनेल के निर्णय/आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होना मानते हुये दिनांक 2.8.2022 को जेरअपील निर्णय पारित कर अपील को खारिज किया गया।
- 7 अपील प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा पारित निर्णय 17.11.2021 अपीलांत की अनुपस्थिति में एक तरफा पारित किया है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांत का कब्जा नहीं है। कब्जा छोड़ने का प्रमाण पत्र न्यायालय में पेश कर देगे। तथा तावान राशि जमा करादी है अतः सजा माफ कर दी जावे। अपीलांत के उक्त तर्क के परिपेक्ष्य में, नायब तहसीलदार सुनेल की पत्रावली के अवलोकन से अपीलांत के इस तथ्य की पुष्टि होती है कि नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा दिनांक 17.11.2021 को निर्णय/आदेश अपीलांत की अनुपस्थिति में एक तरफा निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। प्रकरण में उनका यह भी कथन रहा है कि उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि पर से कब्जा छोड़ दिया गया है इसलिये उनके साथ नरमी का रूख किया जा सकता है। यदि अपीलार्थी नायब तहसीलदार सुनेल में उपस्थित होकर एक शपथ पत्र इस बावत प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि से कब्जा हटा लिया है तथा वह भविष्य में किसी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगे और अधिरोपित अर्थ दंड की राशि अदा कर देंगे तो उन्हें सिविल कारावास के दंड से मुक्त किया जा सकता है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांत आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है। न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड का निर्णय दि० 2.8.2022 अपास्त किया जाता है। नायब तहसीलदार सुनेल के निर्णय दिनांक 17.11.2021 को आंशिक संशोधित किया जाकर अपीलांत को सिविल कारावास की 1 माह (30 दिन) की सजा से मुक्त किया जाता है। सिविल कारावास की सजा से मुक्ति तभी मिलेगी जब वह न्यायालय नायब तहसीलदार सुनेल के समक्ष एक शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत करदे कि उसने वादग्रस्त भूमि से कब्जा छोड़ दिया है तथा वह भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त उस पर अधिरोपित अर्थदण्ड जमा करा दिया गया हो। नायब तहसीलदार सुनेल यह सुनिश्चित करले कि विवादित भूमि से कब्जा अपीलार्थी ने हटा दिया हो तथा उसके द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड जमा करा दिया हो तभी सिविल कारावास के दण्ड से मुक्ति दी जा सकेगी अन्यथा नायब तहसीलदार सुनेल का निर्णय यथावत रहेगा।
- 8 निर्णय आज दिनांक 9.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।


 (बृजमोहन बैरवा)
 अति० सभागीय० अधिकृत
 कोदोटा